XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

26

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–65/2010
U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

1. सुभाष चन्द्र यादव
2. जय कुमार यादव
3. शम्भू कुमार यादव

तीनों के पिता–आद्यानन्द यादव

साकिन–सोनडीहा, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम्

1. यदुवंशी राजेश
2. राजवंशी मुकेश

दोनों के पिता–शिवनाथ यादव

साकिन–सोनडीहा, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ

3. राज्य ..... विपक्षीगण

आ दे श

आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–17/2007–08 61/2008–09 में दिनांक 08.03.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया है। आवेदक द्रोपदी देवी एवं शांति देवी से मौजा–सोनडीहा, थाना नं0–275, खाता संख्या–261/1325, खेसरा संख्या–40/1259, रकवा–3 3/4 डिसमिल, खेसरा संख्या–40/1256, रकवा–1¼ डिसमिल, खाता संख्या–256/1325, खेसरा संख्या–207, रकवा–12½ डिसमिल, खाता संख्या–258/1325, खेसरा संख्या–51/1237, रकवा–05 डिसमिल जमीन निबंधित केवाला द्वारा खरीदा है। उपरोक्त जमीन द्रोपदी देवी एवं शांति देवी वास्तविक भूस्वामी विश्वनाथ यादव से खरीदी थी। द्रोपदी देवी एवं शांति देवी द्वारा खरीदी गयी जमीन को ही विपक्षीगण भूस्वामी विश्वनाथ यादव की माँ से खरीदकर केवाला करवाया। तदुपरान्त विपक्षीगण अंचलाधिकारी, भवानीपुर के कार्यालय में नामानतरण हेतु आवेदन दिया, जिसका वाद संख्या–38/8/2001–02 है। इस क्रम में अंचल कार्यालय द्वारा नोटिश निकाली गयी। फलस्वरूप द्रोपदी देवी एवं शांति देवी नामान्तरण हेतु आवेदन दी। इस परिस्थिति में अंचलाधिकारी जमीन पर वास्तविक दखलकार का पता लगाने के लिये स्वंय स्थल जाँच किये और द्रोपदी देवी एवं शांति देवी को दखलकार पाया गया। अतः अंचलाधिकारी जमीन का नामानतरण आदेश द्रोपदी देवी एवं शांति देवी के नाम करने का आदेश पारित किये। इस प्रकार आवेदकगण द्रोपदी देवी एवं शांति देवी से जमीन खरीदने के बाद नामातनण हेतु अंचलाधिकारी को आवेदन दिया, जिसका वाद संख्या–63/2004–05 एवं 64/2004–05 है। पुनः अंचलाधिकारी द्वारा जाँच कर आवेदक के नाम नामान्तरण का आदेश पारित किया गया। लगभग 7–8 वर्षो के बाद विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–17/2007–08 दायर किया गया। निम्न न्यायालय में बिना किसी प्रक्रियाओं का पालन किये बगैर नियम के विरूद्ध अंचलाधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश को रद्द कर दिया गया। अतः आवेदकगण इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

से अभिलेख मंगवाकर अपने स्तर से न्याय करने की कृपा करें।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया, यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षीगण प्रश्नगत जमीन की वास्तविक भूस्वामी से खरीदा है और हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने भी विपक्षी को ही जमीन पर दखलकार पाया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के अनुकूल है। अतः विपक्षीगण निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 26.03.2012 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक अनुपस्थित थे। आवेदक पूर्व में भी दिनांक 19.11.2010, 15.07.2011, 13.02.2012 को भी अनुपस्थित थे। तीनों बार उन्हें अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का स्पष्ट निदेश दिया गया। इसके बाबजूद भी आवेदक का स्वंय न्यायालय में उपस्थित नहीं रहना स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा हैं इस आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस वाद को खारिज करने की मांग की गयी।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय में आवेदक के द्वारा भी उपस्थित होकर पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया। इस आधार पर आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ